तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर (देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)	पारित आदेश पर अनुपालन

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह।

17.01.25

परमिशन वाद सं0–02/2024–25

काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 की धारा 46(i)(b) के तहत् परमिशन हेतु आदेश पत्र

–: आदेश पत्र :–

अभिलेख उपस्थापित। आवेदित भू–खण्ड की बिक्री अनुमति के विरूद्व आपत्ति आमंत्रण हेतु आम सूचना के तामिला के उपरांत कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अंचल अधिकारी, पीरटांड के पत्रांक–945 दिनांक–19.12.2024 के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया है। जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित खतियानी रैयत का नाम बकसी मांझी पिता बन्धु मांझी के नाम से दर्ज है एवं बिक्रेता खतियानी रैयत का वंशज नहीं है। पंजी–II में रैयत का नाम रतु मांझी अंकित है। पंजी–II खोलने का आधार केवाला (खरिदी) से है, पंजी–II रैयत का खतियानी रैयत से कोई सम्बंध नहीं है। भूमि बिक्रेता जगेश्वर मुर्मू पंजी–II रैयत पुत्र के कब्जे में है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना पीरटांड के अंतर्गत आते है। बिक्रेता **श्री जगेश्वर मुर्मू, पिता स्व0 रतु मांझी, ग्राम–कोंझिया, थाना पीरटांड, जिला–गिरिडीह** तथा क्रेता **श्रीमती मंझली देवी, पति बालेश्वर मुर्मू, साकिन तेलियाबहियार, थाना पीरटांड, जिला–गिरिडीह** के स्थानीय निवासी है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों संथाल जाति के है। बिक्री के बाद बिक्रेता के पास रकवा 3.62 एकड़ भूमि शेष बचता है। अंचल अधिकारी, पीरटांड द्वारा बिक्री करने की अनुशंसा की गई है।

भूमि का ब्यौरा

मौजा	थाना का नाम	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	बिक्री रकवा (एकड़ में)
1	2	3	4	5	6
तेलियाबहियार	पीरटांड	89	44	585 586	0.12 0.34
कुल रकवा (छियालीस डिसमील)					**0.46**

उक्त भूमि प्रस्तावित क्रेता **श्रीमती मंझली देवी, पति बालेश्वर मुर्मू, साकिन तेलियाबहियार, थाना पीरटांड, जिला–गिरिडीह** के पास बिक्री की अनुमति दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

17.01.25
अपर समाहर्त्ता,
गिरिडीह।

17.01.25
अपर समाहर्त्ता,
गिरिडीह।

Digitally signed by localhost
Date: 2025.08.18 13:38:40 +05:30
Location: 192.168.137.1